



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प चूरु

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ब्रांचु व भूअ.नि. सि.स.सा. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जसवन्तपुरा तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 7 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जसवन्तपुरा	7	जोकिन्दराम पुत्र जणपतराम हिस्सा-पूर्ण पारि-वाट निवासी राणासर खातेदार	जोकिन्दराम पुत्र जणपतराम हिस्सा-पूर्ण पारि-वाट निवासी राणासर हाल आबाद जसवन्तपुरा खातेदार

20/10/21
पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 124/2021

दिनांक :- 20-10-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें। जसवन्तपुरा।
2. प्रार्थी श्री जोकिन्दराम पुत्र जणपतराम निवासी हाल आबाद को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

158
20-10-2021

20/10/21
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)